न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –129/2020
GCMS No. – 2020/00164

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
मांगीलाल पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी बाडाणी तहसील व जिला नागौर		1. नेनाराम पुत्र ठाकरराम 2. हजारीराम पुत्र ठाकरराम 3. हिमताराम पुत्र ठाकरराम 4. बीरमाराम पुत्र ठाकरराम जातियान जाट निवासीगण बाडाणी तहसील व जिला नागौर 5. तहसीलदार (भू.अ.) नागौर 6. पटवारी हल्का (भू.अ.) गांगेलाव तहसील व जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री रूघाराम जोगपाल।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या–1 से 4 की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास रेस्पोडेन्ट संख्या–5 व 6 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक 22-02-2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत तहसीलदार नागौर के द्वारा धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा के संबंध में पारित आदेश क्रमांक भू.अ./रा.शि. 08/19/20.12.2010 से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

मयाद के बिन्दु पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि पहले अपीलांट को कथित बंटवाडा आदेश धोखाधड़ी से त्रुटिपूर्वक कम ज्यादा रकबा बंट में रखते हुए पारित करवाया होने की जानकारी नहीं थी, हाल ही में रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट को उसके वास्तविक बंट से बेदखल करने व अपीलांट के बंट में मात्र 14 बीघा भूमि ही रखी होने व दीगर भाई नेनाराम के बंट में 32.07 बीघा, हजारीराम के बंट में 32.05 बीघा, हिम्मताराम के बंट में 19.17 बीघा, बीरमाराम के बंट में 32.07 बीघा भूमि रखी होना बताया तब अपीलांट ने पता करवा कर दिनांक 31.08.2020 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जिनको पढाने पर सर्वप्रथम त्रुटिपूर्वक बंटवाड़ा आदेश की जानकारी होने से व उसके विरूद्ध अपील करने की कानूनी राय मिलने पर अधिवक्ता को सारे हालात बताकर दिनांक 01.09.2020 को अवकाश होने से दिनांक 07.09.2020 को यह अपील पेश की गई है जो जानकारी के दिन से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है जिस हेतु आवेदन मय शपथ पत्र पेश करने का कथन करते हुए मियाद में देरी माफ कर तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

वकील श्री श्यामकुमार व्यास ने वकील अपीलान्ट का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान ने आपसी सहमति से तहसीलदार नागौर के समक्ष कृषि भूमि के विभाजन हेतु आवेदन पेश किया एवं आपसी सहमति से ही वर्ष 2010 में ही तहसीलदार द्वारा भूमि विभाजन किया गया, जिसकी जानकारी वर्ष 2010 से ही अपीलान्ट को भली भांती रही है। क्योंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:27:21 IST
Reason: Self Attested

कलक्टर, नागौर

बंटवाड़ा कि सम्पूर्ण कार्यवाही में अपीलान्ट स्वंय उपस्थित था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को जानकारी नहीं होने का कथन गलत है एवं अपील 10 वर्ष देरीना पेश करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर प्रथमदृष्टया विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपीलान्ट्स् की ओर से बहस में कथन किया कि ग्राम बाडाणी तहसील नागौर के खतौनी खाता संख्या 205 व 149 में दर्ज पक्षकारान के पुश्तेनी खेताय खसरा नं. 148 रकबा 14.12 बीघा, खसरा नं. 339 रकबा 41.02 बीघा, खसरा नं. 349 रकबा 19.10 बीघा, खसरा नं. 351 रकबा 50.11 बीघा व खसरा नं. 603/348 रकबा 5.10 बीघा कुल रकबा 131 बीघा 05 बिस्वा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की सहखातेदारीसुदा कब्जासुद पुश्तेनी अविभाजित खेताय रहते चले आये थे तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 सगे भाई है इस सभी का उक्त खसरान में बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 हिस्सा कानूनन हुआ, रहा व है जिसके अनुसार करीब 26 बीघा 5 बिस्वा अपीलांट का बनता है व उसी अनुसार अपीलांट के दीगर भाईयो यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 प्रत्येक का एक हिस्सा बनता है।

कालान्तर में सन् 2010 में प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प बाडाणी में आयोजित हुआ और उस दौरान अपीलांट के भाई रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 4 ने आपस में सांठ गांठ करते हुए व अपीलांट द्वारा अपने भाईयो पर किये जाने वाले अटूट विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर विश्वासघात करते हुए अपीलांट को यह बताया कि पंचायत में बंटवाड़ा का केम्प लगा हुआ है जिसके हमें पहले से जानकारी थी हम हमारी भूमि का मौके पर पांचो भाईयो का बराबर–बराबर रकबा अनुसार मौखिक रूप से बंटी हुई है व सभी बंटो के रास्ता लगता है उसी अनुसार बंटवाड़ा फार्म आदि पटवारी से मिलकर तैयार करवा लिये है व उसी अनुसार बंटवाड़ा करवा कर अलग अलग खाते करवाने की पूरी तैयारी कर ली है आप तो सहमति के अंगुष्ठ निशान कर दो और कथित बंटवाड़ा करवाने का कह कर खाली फार्म पर अंगुष्ठ दुर्भावनापूर्वक करवा लिये व बाद में हल्का पटवारी से रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 4 ने अपनी मर्जी अनुसार अपीलांट के बंट में कम भूमि रखते हुए व अपने बंट में अधिक भूमि रखते हुए तथा रेस्पोडेन्टान के बंट की भूमि रास्ते के चिपती बताते हुए व अपीलांट के बंट की भूमि पीछे की तरफ बताते हुए जिसके कोई रास्ता भी नहीं लगता है ऐसा बंट अपनी मर्जी अनुसार बताकर षड़यंत्रपूर्वक तरीके से छल कपट धोखाधडी करते हुए बंटवाडा आवेदन भरवा कर विवादित खेताय का अलग से उक्त केम्प व बंटवाड़ा आदेश से एक दिन पूर्व ही दिनांक 19.12.2010 को त्रुटिपूर्वक बदनियती से जो नक्शा बनवाया हुआ था, उसी अनुसार अपीलांट को धोखे में रखते हुए व मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा के तथ्यों को छुपाकर राजस्व शिविर में तहसीलदार नागौर से धारा 53 राज0 टि0 एक्ट के तहत कथित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 को स्वीकृत करवा लिया व वास्तविक तथ्य बताये बिना कथित त्रुटिपूर्वक आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 483, 535 दर्ज करवा लिया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 339, 718/339 अपीलांट के नाम व खसरा नं. 349 रकबा 1.13 बीघा, खसरा नं. 351 रकबा 30.14 बीघा रेस्पोडेन्ट नेमाराम के नाम, खसरा नं. 148 रकबा 14.12 बीघा, खसरा नं. 715/349 रकबा 17.17 बीघा रेस्पोडेन्ट हजारीराम के नाम, खसरा नं. 719/351 रकबा 19.17 बीघा रेस्पोडेन्ट हिम्मताराम के नाम, व खसरा नं. 716/339 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नं. 717/339 रकबा 26.07 बीघा रेस्पोडेन्ट बीरमाराम के नाम व खातेदारी में दर्ज है [illegible] त्रुटिपूर्वक बंटवाड़ा के आधार पर बनाये गये उक्त खसरान की भूमि को रेस्पोडेन्ट मनमर्जी [illegible] स्थानान्तरण, गिरवी, रहन करने, अपीलांट को उसके वास्तविक बंट कब्जे से बेदखल करने पर आ[illegible] होने व पुश्तेनी प्रत्येक खसरा में अपीलांट का बराबर हक हिस्सा नहीं रखा [illegible] की बात [illegible] अपीलांट को बड़ा आश्चर्य हुआ व उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested

कथित बंटवाड़ा आदेश केवल मात्र दिखावटी रूप से ही सहमति से किया हुआ है मगर वास्तविक रूप से ऐसा कोई बंटवाड़ा न तो कभी अपीलांट को स्वीकार था न सहमति इस बाबत अपीलांट की कभी रही थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपीलांट के साथ विश्वासघात व धोखा किया है व उस बंटवाड़ा की आड़ में अब अपीलांट के वास्तविक बंट जो 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि बंट की बनती है उससे बेदखल करने, अपीलांट का रास्ता बंद करने पर आमादा है तथा रेस्पोडेन्टान ने अपनी मर्जी अनुसार अपने बंट में अच्छी उपजाउ व रास्ते के लगती भूमि बंट में गलत रूप से बताकर कथित बंटवाड़ा आदेश बाले बाले अपीलांट की जानकारी के बिना स्वीकृत व पारित करवाया होने से विधि सम्मत नहीं है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार के समक्ष सहमति से आवेदन पेश करके काश्तकारो को पुश्तेनी भूमि के बंटवाड़ा करवाने का अधिकार अवश्य है तथा ऐसा प्रावधान है लेकिन उसमें यह आवश्यक है कि सभी भाईयों के बंट में पुश्तेनी भूमि का रकबा बराबर बराबर रखा जाता है यानि बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बराबर हिस्सा बंट में होने पर ही ऐसा बंटवाड़ा आवेदन स्वीकार कर धारा 53 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत स्वीकृत कर रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जा सकता है किसी एक भाई के बंट में बहुत कम रकबा व दीगर भाईयों के बंट में अधिक रकबा रखते हुए ऐसा बंटवाडा आवेदन स्वीकार कर आदेश पारित करने के तहसीलदार को कोई विधिक अधिकार नहीं होते हुऐ भी तहसीलदार नागौर ने राजस्व शिविर में केवल टारगेट पुरा करने के आश्य से काश्तकार अपीलान्ट के हितों की अनदेखी करते हुए गलत तौर से कथित कम ज्यादा भूमि बंट में रखी होने से आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के जरिये आदेश अपास्त कर पत्रावली तहसीलदार नागौर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाना आवश्यक है कि उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की कथित बंटवाड़ा से पूर्व की स्थिति बहाल रखते हुऐ उसके पश्चात अपीलान्ट सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 यानि सभी पक्षों को सुनकर वास्तविक रूप से प्रत्येक खसरान में प्रत्येक सहखातेदार का बराबर हिस्सा रास्ता के लगता हुआ बंट में रखते हुऐ पुनः विधि सम्मत बंटवाड़ा आदेश पारित करे, ऐसा आदेश/निर्देश प्रकरण हाजा में उपरोक्त परिस्थितियों अनुसार पारित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है क्योंकि कथित बंटवाड़ा आदेश त्रुटिपूर्वक है यदि सहमति से भूमि कम ज्यादा रखी जाती है तो उसका कारण/नोट बंटवाड़ा फार्म व स्वीकृति आदेश में अवश्य दर्ज होता है जो इस प्रकरण के बंटवाड़ा आवेदन व स्वीकृति आदेश में दर्ज नहीं है, जिससे भी बंटवाड़ा आदेश छल कपट धोखाधड़ीपूर्वक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने मिलीभगती से गलत तौर से स्वीकृत करवाया होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान सख्या 1 से 4 के पुश्तैनी सहकब्जे काश्त सहखातेदारी की रही है तथा वास्तविक रूप से आज तक भौतिक विभाजन नहीं हुआ है तथा प्रत्येक खातेदार के बंट में 26.6 बीघा के हिसाब से भूमि आती है व उसी अनुसार ही बंटवाड़ा हो सकता है इसके बावजूद केवल मात्र 13.15 बीघा व अंत में बीरमाराम के साथ 10 बिस्वा और बताकर यानि 26.5 के स्थान पर केवल 14 बीघा भूमि ही अपीलान्ट के बंट में बताकर बंटवाड़ा आदेश पारित करवाया गया है। ऐसे आदेश से खातेदार अपीलान्ट के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ व हो रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 उतरोतर राजस्व रेकर्ड का दुरूपयोग कर रहे है, जिससे आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रशासन गांवों के संग शिविर दिनांक 20.12.2010 को आयोजित हुआ था। लेकिन नजरी नक्शा हल्का पटवारी द्वारा 19.12.2010 को किसके आदेश से कथित बंटवाड़ा अनुसार पहले ही बना लिया, ऐसा कोई भी अंकन नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टान संख्या 1 से 4 ने पहले से ही पटवारी हल्का से मिलीभगती कर रखी थी और उसी अनुसार [illegible] पर बंट बतौर आदेश पारित करवाया गया है जिससे भी आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। क्योंकि कथित विभाजन प्रस्ताव ही दिनांक 20.12.2010 के तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुआ [illegible] उससे पूर्व ही दिनांक 19.12.2010 को ही नजरी नक्शा कैसे व किसके आदेश से कहां पर तैयार किया गया है यह बहुत गंभीर व विचारणीय बिन्दु है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

कथित बंटवाड़ा आदेश में रेस्पोडेन्ट हजारीराम के बंट में खसरा नम्बर 148 व 349 कुल रकबा 32.05 बीघा बताये गये है जो गलत है। क्योंकि खसरा नम्बर 148 व 349 के मध्य बालवा आम रोड़ है तथा बीरमाराम का जो बंट खसरा नम्बर 339 में बताया गया है उसके पूर्व में आम रोड़ बाराणी से पाबुजी के ओरण राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाना की ढाणी बाराणी तक जाता है। तात्पर्य यह है कि इन रेस्पोडेन्टान ने रोड़ के लगते खसरान को अपने बंट में अपनी मर्जी अनुसार बताकर आदेश जैर अपील त्रुटिपूर्वक पारित करवाया है जबकि इनका न तो इस कथित बंट अनुसार कभी कब्जा काश्त रहा न आज दिन है मौके पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त शुरू से लेकर आज दिन तक सभी खसरान पर लगातार रहता चला आया है इसके बावजूद अपीलान्ट का बंट मनमर्जी से पीछे की तरफ से बताकर गलत रूप से बंटवाड़ा आदेश पारित करवाया गया है।

विधिक प्रावधानों का जंहा तक प्रश्न है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार किया हुआ नहीं है बल्कि पटवारी द्वारा किया गया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव स्वंय तहसीलदार द्वारा ही तैयार किया जाना आज्ञापक प्रावधान है और प्रकरण हाजा में उक्त नियमों की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार को प्राप्त शक्तियां अन्य किसी को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है ऐसी स्थिति में भी आदेश जैर अपील विधि की दृष्टि में अवैध, शून्य होने से अपास्त किये जाने योग्य होने का निवेदन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2010 को अपास्त कर उक्त आदेश के आधार पर विवादित खसरान के भरे गये नामान्तरकरण संख्या 535 से संबंधित राजस्व रेकर्ड हाल खसरा नम्बर 339, 718/339, 349, 351, 148, 715/349, 719/351, 716/339 व 717/339 वाके मौजा बाडाणी तहसील नागौर की पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर तहसीलदार नागौर विकल्प में सहायक कलक्टर नागौर को पत्रावली रिमाण्ड कर वास्तविक स्थिति अनुसार अपीलान्ट सहित रेस्पोडेन्ट्स सभी भाईयों के बंट में बराबर–बराबर भूमि सभी बंट के रास्ता लगते हुए रख कर भौतिक विभाजन कर खातेदारी अलग–अलग खाता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। वकील श्री श्याम कुमार व्यास में बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2018(1) पेज–283–285, आर.आर.टी. 2012(1) पेज–658–661, पेश किये।

वकील श्री श्यामकुमार व्यास ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम बाड़ाणी के वादग्रस्त खसरान भूमि के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 सह खातेदार रहे। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 द्वारा आपसी सहमति से उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट ने अपने हक में खसरा नम्बर 339 व खसरा नम्बर 603/348 में से कुल रकबा 13–15 बीघा भूमि अपीलान्ट ने अपने बंट में रखने की सहमति दी है एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपने अंगुठा निशान किये है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रार्थीगण अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 उपस्थित हुए एवं इनके द्वारा उक्त बंटवारे से सहमति देने पर बंटवारा आदेश जैर अपील दिनांक 20.12.2010 स्वीकार किया गया है, जो बंटवाड़ा आदेश का अवलोकन से भी स्पष्ट है। इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखते हुए व मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा के तथ्यों को छुपाकर राजस्व शिविर में तहसीलदार नागौर से बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 स्वीकृत करवा लेने का अपीलान्ट का कथन पूर्णतया गलत एवं मिथ्या है। उक्त बंटवाड़ा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखकर करवा लेने बाबत जानकारी 10 वर्ष पश्चात होना भी कतई विश्वसनीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा आदेश अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 की उपस्थिति में इनकी सहमति से ही किया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलान्ट बंटवाड़ा आदेश अनुसार ही मौके पर काबिज है। अपीलान्ट ने ऐसी [illegible] पेश नहीं की है, जिससे यह सावित हो कि वह आज दिन अपीलान्ट अपने कथनानुसार 26 [illegible] बीघा [illegible] पर काबिज हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील श्री श्याम कुमार व्यास ने [illegible] जारी रखते हुए कथन किया कि उक्त बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 से एक दिन पूर्व ही दिनांक 19.12.2010 को त्रुटिपूर्वक बदनियती से जो नक्शा बनाया हुआ था, उसी अनुसार अपीलान्ट को धोखे में रखकर व मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा के तथ्यों को छुपाकर राजस्व शिविर में तहसीलदार नागौर से कथित बंटवाड़ा आदेश दिनांक

कलक्टर, नागौर

20.12.2010 स्वीकृत करवा लेने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्व शिविर दिनांक 20.12.2010 में हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने के संबंध में पटवारी हल्का से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण ने मिलकर एक दिन पूर्व अर्थात 19.12.2010 को सम्पर्क किया था, तब पटवारी हल्का द्वारा उक्त नक्शा की नकल तैयार की जिस पर पटवारी गोगेलाव के हस्ताक्षर के नीचे तारीख 19.12.10 अंकित की गई, जो सही है। परन्तु उक्त नक्शा पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपने अंगुठा निशान तहसीलदार नागौर के समक्ष बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 को ही किये गये है, उक्त नक्शा पर तहसीलदार नागौर द्वारा भी अपने हस्ताक्षर किये गये है, तहसीलदार नागौर के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 19.12.10 अंकित नहीं है, इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार नागौर ने भी उक्त नक्शा पर अपने हस्ताक्षर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अंगूठा निशान करने के बाद ही बंटवाड़ा आदेश की दिनांक 20.12.2010 को ही अपने हस्स्ताक्षर किये गये है। उक्त नक्शा पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अंगूठा निशान के नीचे भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। इसके अलावा उक्त नक्शा भी बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 के अनुसार ही होने से वकील अपीलान्ट द्वारा नक्शें के संबंध में उपर्युक्तानुसार किये गये कथन मिथ्या, गलत व बनावटी होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। वकील श्री श्याम कुमार व्यास में बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2011(1) पेज–57–64 पेश किया।

राजपैरोकार ने बहस में वकील रेस्पोडेन्ट की बहस का समर्थन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील बंटवाड़ा अपीलान्ट की उपस्थिति में उसकी सहमति के आधार पर किया गया है, जो उचित होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकुलाय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान का अद्योपान्त अवलोकन किया। ग्राम बाड़ाणी के खसरा नम्बर 148, 339, 349, 351 व 603/348 किस्म बाराणी–2 कुल रकबा 131–05 बीघा भूमि के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 सहखातेदार रहे है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आपसी सहमति से उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट ने स्वंय के हक में खसरा नम्बर 339 व 603/348 में से कुल रकबा 13–15 बीघा भूमि अपीलान्ट ने अपने बंट में रखने की सहमति दी है एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपने अगुंठा निशान किये है। पटवारी गोगेलाव व भू–अभिलेख निरीक्षक अलाय की रिपोर्ट के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रार्थीगण अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 उपस्थित हुए एवं इनके द्वारा उक्त बंटवारे से सहमति देने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा आदेश जैर अपील दिनांक 20.12.2010 पारित किया गया है, जो आदेश जैर अपील बंटवाड़ा का अवलोकन से भी स्पष्ट है। इसलिए अपीलान्ट का कथन कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखते हुए व मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा के तथ्यों को छुपाकर राजस्व शिविर में तहसीलदार नागौर से बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 स्वीकृत करवा लिया स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उक्त बंटवाड़ा आदेश पारित होने के पश्चात अब करीब 9 वर्ष बाद, अपीलान्ट द्वारा यह कथन करना कि उक्त बंटवाड़ा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखकर करवा लिया है, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा आदेश अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4 की उपस्थिति में इनकी सहमति से ही किया है, जो उचित है। अपीलान्ट ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो कि वह आज दिन माफिक बंटवाड़ा मौके पर काबिज नहीं होकर अपने कथनानुसार 26–5 बीघा भूमि पर काबिज हो। अपीलान्ट ने हस्तगत प्रकरण में आदेश जैर अपील बंटवाड़ा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा उसे धोखे में रखकर करवाने के संबंध में कोई ठोस प्रमाणित कथ[illegible] से साबित नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni.
Date: 2021.04.07 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 से एक दिन पूर्व दिनांक 19.12.2010 को त्रुटिपूर्वक बदनियती से जो नक्शा बनाया हुआ था, उसी अनुसार अपीलान्ट को धोखे में रखकर व मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा के तथ्यों को छुपाकर राजस्व शिविर में तहसीलदार नागौर से कथित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 स्वीकृत करवा लेने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध वकील रेस्पोडेन्ट श्री श्यामकुमार व्यास का कथन कि राजस्व शिविर दिनांक 20.12.2010 में हस्तगत

कलक्टर, नागौर

प्रकरण वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने के संबंध में पटवारी हल्का से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण ने मिलकर एक दिन पूर्व अर्थात 19.12.2010 को सम्पर्क किया था, तब पटवारी हल्का द्वारा उक्त नक्शा की नकल तैयार की जिस पर पटवारी गोगेलाव के हस्ताक्षर के नीचे तारीख 19.12.10 अंकित की गई, जो सही है। परन्तु उक्त नक्शा पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपने अंगुठा निशान तहसीलदार नागौर के समक्ष बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 को ही किये गये है, उक्त नक्शा पर तहसीलदार नागौर द्वारा भी अपने हस्ताक्षर किये गये है, तहसीलदार नागौर के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 19.12.10 अंकित नहीं है, इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार नागौर ने भी उक्त नक्शा पर अपने हस्ताक्षर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अंगूठा निशान करने के बाद ही बंटवाड़ा आदेश की दिनांक 20.12.2010 को ही अपने हस्स्ताक्षर किये गये है। उक्त नक्शा पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अंगूठा निशान के नीचे भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। इसके अलावा उक्त नक्शा भी बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 के अनुसार ही होने से वकील अपीलान्ट द्वारा नक्शें के संबंध में उपर्युक्तानुसार किये गये कथन मिथ्या, गलत व बनावटी होना बताया है। इस प्रकार वकील रेस्पोडेन्ट श्री श्यामकुमार व्यास का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ओदश जैर अपील बंटवाड़ा उचित होने से में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड भिजवाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested